भारत के राजपत्र के भाग 1 खंड 2 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
ऊर्जा मंत्रालय
अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग
****

केन्द्रीय सरकार कार्यालय समूह,
ब्लॉक सं. 14, लोदी रोड,
नई दिल्ली- 110003.
दिनांकः 27 अप्रैल, 1988

सं. **11019(2)/87-** हिंदी

संकल्प

भारत सरकार के अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोतों के क्षेत्र में हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लेखकों को पुरस्कृत करने के लिए एक योजना लागू करने का निर्णय लिया है।

I. योजना का नामः

योजना का नामः 'प्राकृतिक ऊर्जा पुरस्कार योजना' होगा ।

2. उद्देश्य एवं क्षेत्र

इस योजना का उद्देश्य अपारंपरिक तथा नए एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित पुस्तकों के हिंदी में मौलिक लेखन को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत उन भारतीय लेखकों को सम्मानित किया जाएगा जो मौलिक हिंदी पुस्तकों का लेखन करते हैं ।

इस उद्देश्य के लिए अपारंपरिक तथा नए एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित चुने गए विषय नीचे दिए गए हैं :-

1. सौर तापीय ऊर्जा
2. पवन ऊर्जा
3. सौर प्रकाशवोल्टीय
4. बायोमास
5. बायोगैस
6. बायोऊर्जा
7. अन्य नए एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

3. पुरस्कार की राशि

हिंदी में मौलिक पुस्तकों के लिए निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगें :-

पहला पुरस्कार (i) ------------------ 05,000/- रूपये
दूसरा पुरस्कार (i)------------------- 03,000/- रूपये
तीसरा पुरस्कार (i) ----------------- 02,000/- रूपये

4. यह योजना अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा चलाई जाएगी।

5. पुरस्कार सन् 1988 से आरंभ होंगे और प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के लिए दिए जाएंगे। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग पुरस्कारों के लिए लेखकों के आवेदन पत्र अंग्रेजी और हिंदी के समाचार-पत्रों में सूचना प्रकाशित करके आमंत्रित करेगा।

6. लेखक अपने आवेदन निर्धारित फार्म पर भरकर संयुक्त सचिव (जे), अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग (ऊर्जा मंत्रालय), सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, ब्लॉक सं. 14, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003. को भेजेंगे। आवेदन पत्र के साथ विचारार्थ पाण्डुलिपियां/ प्रकाशित पुस्तकें भी लेखकों को निर्धारित संख्या में भेजनी होंगी।

7. **पुरस्कार योजना में भाग लेने के लिए पात्रताः**

(1) विभिन्न वैज्ञानिक विभागों तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी, महासागर विकास, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, पर्यावरण विभाग, वैज्ञानिक और अनुसंधान और जैव प्रौद्योगिकी विभागों में कार्य करने वाले व्यक्तियों को छोड़कर सभी भारतीय नागरिक इस स्कीम में भाग ले सकेंगे।

(2) इस योजना में प्रकाशित पुस्तकों और पाण्डुलिपियों दोनों पर विचार किया जाएगा।

(3) पाठ्यपुस्तकों, अर्थात् ऐसी पुस्तकें जिन्हें विशिष्ट रूप से कक्षाओं में पढ़ाने के लिए तैयार किया गया है तथा बच्चों के लिए लिखी गई पुस्तकों को इन प्रतियोगिताओं में शामिल नहीं किया जाएगा।

(4) जिन लेखकों की पुस्तकों को इन प्रतियोगिताओं में शामिल किया जाएगा उनका अपनी पुस्तकों पर कापीराइट बना रहेगा।

(5) जिन पुस्तकों को इन प्रतियोगिताओं के लिए पहले पेश किया जा चुका होगा उन्हें इन प्रतियोगिताओं के लिए दोबारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। लेखकों को आवेदन पत्र के साथ अपने प्रकाशित ग्रंथ अथवा पांडुलिपि की साफ टाइप की गई प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी। साफ टाइप न की गई प्रतियों को अस्वीकार किया जा सकता है।

(6) इस विभाग को पुरस्कार के लिए पुस्तकों का चयन करने और इस प्रकार के चयन के लिए लागू होने वाले नियमों का निर्माण करने का एकमात्र अधिकार होगा।

(7) जिन मौलिक पुस्तकों को इस पुरस्कार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, उनको पुरस्कार के वर्ष से पिछले तीन वर्षों में प्रकाशित होना चाहिए।

(8) पांडुलिपियों को इस प्रतियोगिता योजना के लिए उसी सूरत में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा यदि उनके साथ लेखक की यह लिखित वचनबद्धता आती है कि अगर उसकी पांडुलिपि को पुरस्कार के लिए चुन लिया गया तो इस प्रकार के पुरस्कार दिए जाने की सूचना मिलने के 6 मास के भीतर इसका प्रकाशन कर दिया जाएगा। पुरस्कार की राशि पुस्तक के प्रकाशन के बाद दी जाएगी।

(9) जिन पुस्तकों को भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश के प्रशासन की किसी योजना के अधीन एक बार पुरस्कार दिया जा चुका होगा उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।

(10) हरेक लेखक किसी वर्ष विशेष में प्रत्येक विषय के लिए केवल एक पुस्तक विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है। वह एक ही वर्ष में विभिन्न विषयों में पुरस्कार प्राप्त करने का पात्र होगा।

8. सामान्य शर्तें :

(1) यदि पुरस्कार प्राप्त करने वाली किसी पुस्तक के एक से अधिक लेखक हैं तो पुरस्कार की राशि को उनमें बराबर-बराबर बांट दिया जाएगा।

(2) यदि किसी वर्ष मूल्यांकन समिति किसी भी पुस्तक/ पांडुलिपि को पुरस्कार दिए जाने के उपयुक्त नहीं समझती है तो मूल्यांकन समिति अपने विवेक पर इस पुरस्कार को रोक सकती है।

(3) पुरस्कार प्रदान किए जाने या पुरस्कार के लिए पुस्तकों के चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जायेगा।

(4) यह पुरस्कार हर कलैंडर वर्ष में दिया जाएगा और यदि किसी कलैंडर वर्ष के लिए उपयुक्त पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं तो उस वर्ष पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे।

9. मूल्यांकन समिति

(1) पुरस्कार प्रदान किए जाने के लिए पुस्तकों/ पांडुलिपियों का चयन करने के लिए मूल्यांकन समिति होगी।

(2) इस मूल्यांकन समिति में अध्यक्ष को मिलाकर 5 सदस्य होंगे। यदि आवश्यक समझा गया तो अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित किया जा सकेगा।

(3) मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग के सचिव द्वारा की जाएगी। मूल्यांकन समिति का अध्यक्ष विभिन्न विषयों में आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों को इस समिति के साथ संबंधित कर सकता है। इस प्रकार संबंधित किए गए विशेषज्ञों की हैसियत केवल सलाहकार की होगी।

(4) यदि मूल्यांकन समिति का कोई सदस्य इस पुरस्कार योजना में शामिल होना चाहता है तो वह उस वर्ष के लिए मूल्यांकन समिति का सदस्य नहीं होगा। मूल्यांकन समिति द्वारा लिया गया फैसला अंतिम और हर लिहाज से बाध्यकारी होगा और उसके खिलाफ किसी प्राधिकारी को कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

(5) इस समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष तक होगा। मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों को उनके द्वारा किए गए मूल्यांकन कार्य के लिए यथा निर्धारित **मानदेय** दिया जाएगा।

(6) मूल्यांकन समिति के गैर सरकारी सदस्यों को नियमानुसार यात्रा/ दैनिक भत्ते प्रदान किए जाएंगे।

10. कुछ अन्य सामान्य बातें

मौलिक पुस्तक का आशय निम्नलिखित प्रकार की पुस्तक से हैः-

(1) जो प्रतियोगी/ लेखक द्वारा स्वयं मूल रूप से हिंदी में लिखी गई हो,
(2) जो किसी लेखक द्वारा किसी अन्य भाषा में लिखी गई पुस्तक अथवा लेख का प्रतियोगी द्वारा किया गया अनुवाद न हो,
(3) जो प्रतियोगी द्वारा स्वयं किसी अन्य भाषा में लिखी गई पुस्तक का स्वयं उस प्रतियोगी द्वारा अथवा किसी व्यवसायिक अनुवादक द्वारा तैयार किया गया अनुवाद न हो,
(4) जिसे प्रतियोगी ने मूल रूप से हिंदी में अथवा किसी अन्य भाषा में अपनी शासकीय हैसियत से तथा अपने सरकारी कामकाज के एक भाग के रूप में न लिखा हो,
(5) जो प्रतियोगी द्वारा स्वयं अथवा किसी व्यवसायिक अनुवादक द्वारा किया गया किसी ऐसी पुस्तक अथवा लेख का हिंदी अनुवाद न हो जिसे लेखक ने अंग्रेजी अथवा किसी अन्य भाषा में अपनी शासकीय हैसियत से तथा अपने सरकारी कामकाज के एक भाग के रूप में लिखा हो,
(6) जो लेखक द्वारा स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया विस्तृत/ संक्षिप्त रूप अथवा सार न हो जिसे लेखक ने अपनी शासकीय हैसियत से तथा अपने सरकारी कामकाज के एक भाग के रूप में अंग्रेजी में अथवा किसी अन्य भाषा में लिखा तथा/ अथवा प्रकाशित कराया हो, तथा
(7) जो किसी सरकारी ठेके के अंतर्गत अथवा किसी सरकारी योजना के अनुसार लिखी गई पुस्तक न हो।

11. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग को इस योजना में संशोधन करने का अधिकार रहेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, भारत के सभी विश्वविद्यालयों तथा समाचार एजेंसियों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ह/-
(एस.आर.खीथा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद (हरियाणा)

****

(भारत के राजपत्र के भाग 1 खंड । में प्रकाशनार्थ)

सं. **11019(2)/87-** हिंदी

भारत सरकार

ऊर्जा मंत्रालय

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग

****

केन्द्रीय सरकार कार्यालय समूह,
ब्लॉक सं. 14, लोदी रोड,
नई दिल्ली- 110003.
दिनांकः 19 जनवरी, 1989

शुद्धि-पत्र

विषयः ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोतों के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने को प्रोत्साहन देने के लिए 'प्राकृतिक ऊर्जा पुरस्कार योजना '।

इस विभाग के दिनांक 27 अप्रैल, 1988 के का.ज्ञा.सं. 11019(2)/87- हिंदी के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस योजना में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं :-

1. ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोतों के क्षेत्र में 'उन्नत प्रकार के चूल्हे' को भी शामिल कर लिया गया है।
2. इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार की राशि बढ़ा दी गई है जो इस प्रकार से है:-

प्रथम पुरस्कार -	5000/-	रू से बढ़ाकर	8000/-रू.
द्वितीय पुरस्कार-	3000/-	रू. से बढ़ाकर	6000/- रू.
तृतीय पुरस्कार -	2000/-	रू. से बढ़ाकर	3000/- रू.

3. इस योजना में अब अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग सहित सभी वैज्ञानिक विभागों के अधिकारी/ कर्मचारी भी भाग ले सकते हैं ।
4. इस योजना के अंतर्गत ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोतों से संबंधित विषय पर अच्छे स्तर की अंग्रेजी या दूसरी भाषा में लिखी गई पुस्तकों का उच्च स्तर का अनुवाद करके हिंदी में प्रकाशित पुस्तकों को भी शामिल करने का निर्णय किया गया है। तद्नुसार ही इस योजना की मद सं. 10 (कुछ सामान्य बातें) को संशोधित समझा जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस शुद्धिपत्र की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, भारत के सभी विश्वविद्यालयों तथा समाचार एजेंसियों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस शुद्धिपत्र को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ह/-
(राजकुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद (हरियाणा)

(To be published in part-I, Section I of the Gazette of India)

No. 11019(2)/87- Hindi

Government of India
Ministry of Energy
Department of Non- Conventional Energy Sources
C.G.O. Complex, Block No. 14,
Lodhi Road, New Delhi- 110003.

Dated: 19 January, 1989

CORRIGENDUM

Subject:- 'PRAKRITIKA URJA AWARD SCHEME' to encourage writting of original book in Hindi in the field of New and Renewable Sources of Energy.

With Reference to this Department's O.M. No. 11019(2)/87-Hindi Dated 27.4.1988, I am directed to state that the following addition/ modifications are made in this scheme: -

1. ' Improved Chulha' have also been included in the subject relating to Non- Conventional and New and Renewable Sources of Energy.
2. Under this scheme the amount of prizes has been increased as under:-

First Prize	-	Rs. 5000/- to Rs. 8000/-
Second Prize	-	Rs. 3000/- to Rs. 6000/-
Third Prize	-	Rs. 2000/- to Rs. 3000/-

3. The officials of the Department of Non- Conventional Energy Sources including the officials of other Scientific Departments are also eligible to participate in this scheme.
4. It has also been decided to bring the translated books in Hindi under this scheme. Book of good standard pertaining to the subject of New and Renewable sources of Energy written in English or in some other languages and translated and printed in Hindi are also included in this scheme provided the translation are of good standard. Accordingly, Item No. 10 of the aforesaid O.M. gets modified to that extent.

ORDER

Ordered that a copy each of this corrigendum be sent to all the state Governments, all the Ministries and Departments of Government of India, all the Universities of India and News Agencies.

Sd/-
(RAJKUMAR)
Under Secretary to the Govt. of India

To,
The Manager,
Government of India Press,
Faridabad (Hariyana)

भारत के राजपत्र के भाग 1 खंड । में प्रकाशनार्थ

सं. **11015(3)/93-** हिंदी

भारत सरकार

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

****

केन्द्रीय सरकार कार्यालय समूह,
ब्लॉक सं. 14, लोदी रोड,
नई दिल्ली- 110003.
दिनांकः 25 मार्च, 1994

आदेश

विषयः **ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोतों के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए 'प्राकृतिक ऊर्जा पुरस्कार योजना '।**

इस मंत्रालय के दिनांक 27 अप्रैल, 1988 के का.ज्ञा.सं. 11019(2)/87- हिंदी और दिनांक 19 जनवरी, 1989 के समानसंख्यक शुद्धि पत्र के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1992 के कलैण्डर वर्ष से पुरस्कारों की राशि बढ़ा दी गई है जो इस प्रकार से है :-

1.	प्रथम पुरस्कार -	8000/-	रू से बढ़ाकर	15,000/-रू.
2.	द्वितीय पुरस्कार-	6000/-	रू. से बढ़ाकर	10,000/- रू.
3.	तृतीय पुरस्कार -	3000/-	रू. से बढ़ाकर	7,000/- रू.

2. तदनुसार उपर्युक्त दिनांक 27.4.1988 के का.ज्ञा. का पैरा 3 संशोधित समझा जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, भारत के सभी विश्वविद्यालयों तथा समाचार एजेंसियों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस आदेश को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ह/-
(वी.पी.चोपड़ा)
उप-निदेशक (राजभाषा)

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)

****

(To be published in part-I, Section I of the Gazette of India)

No. 11015(3)/93- Hindi

Government of India

Ministry of Non- Conventional Energy Sources

C.G.O. Complex, Block No. 14,

Lodhi Road, New Delhi- 110003.

Dated: 25 March 1994

ORDER

Subject:-'PRAKRITIKA URJA AWARD SCHEME' to encourage writting of original book in Hindi in the field of New and Renewable Sources of Energy.

With Reference to this Ministry's O.M. No. 11019(2)/87-Hindi Dated 27.4.1988 and in Continuation of Corrigendum of even number dt. 19th January, 1989, I am directed to state that under this Scheme the amount of prizes have been increased as under with effect from the award for the Calander Year 1992:-

1.	First Prize	-	Rs.8000/- to Rs.15,000/-
2.	Second Prize	-	Rs.6000/- to Rs.10,000/-
3.	Third Prize	-	Rs.3000/- to Rs. 7,000/-

2. Accordingly Para No. 3 of the aforesaid O.M. dt. 27.4.1988 stands modified to that extent.

ORDER

Ordered that a copy each of this corrigendum be sent to all the State Governments, all the Ministries and Departments of Government of India, all the Universities of India and all the News Agencies.

Ordered also that a copy of this order be published in the gazette of India for general information.

Sd/-
(V.P. Chopra)
D.D.(OL)

To,

The Manager,
Government of India Press,
Faridabad (Hariyana)

....

(भारत के राजपत्र के भाग । खंड । में प्रकाशनार्थ)

सं. **11019(1)/98-**हिंदी

भारत सरकार

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

केन्द्रीय सरकार कार्यालय समूह,
ब्लॉक सं. 14, लोदी रोड,
नई दिल्ली- 110003.
दिनांकः 18 जनवरी, 1999

आदेश

विषयः- ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोतों के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए 'प्राकृतिक ऊर्जा पुरस्कार योजना '.

इस मंत्रालय के दिनांक 27 अप्रैल, 1988 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11019(2)/87-हिंदी और दिनांक 19 जनवरी, 1989 के समानसंख्यक शुद्धिपत्र तथा 25 मार्च, 1994 के आदेश सं. 11015(3)/93- हिंदी-भाग-। के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली प्रविष्टियों में प्रत्येक में कम से कम 50 पृष्ठ अवश्य हों।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, भारत के सभी विश्वविद्यालयों तथा समाचार एजेंसियों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस आदेश को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ह/-
(प्रेम सिंह)
उप-निदेशक (राजभाषा)

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)

(भारत के राजपत्र के भाग । खंड । में प्रकाशनार्थ)

सं. **11019(1)/99-हिंदी-पार्ट-।**

भारत सरकार

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

ब्लॉक सं. 14, केन्द्रीय कार्यालय परिसर,
लोदी रोड, नई दिल्ली- 110003.

दिनांकः 18 अगस्त, 1999

आदेश

विषयः- ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोतों के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए 'प्राकृतिक ऊर्जा पुरस्कार योजना '.

इस मंत्रालय के दिनांक 27 अप्रैल, 1988 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11019(2)/87-हिंदी, दिनांक 19 जनवरी, 1989 के समानसंख्यक शुद्धिपत्र तथा 25 मार्च, 1994 के आदेश सं. 11015(3)/93- हिंदी-भाग-। और दिनांक 18 जनवरी, 1999 के आदेश सं. 11019(1)/98- हिंदी के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'प्राकृतिक ऊर्जा पुरस्कार योजना' के संकल्प सं. 11019(2)/87- हिंदी दिनांक 27 अप्रैल, 1988 के पैरा 7 के उप-पैरा (7) को निम्नानुसार संशोधित समझा जाए :-

' इस योजना के अंतर्गत मौलिक पुस्तकों/हिंदी में अनूदित पुस्तकों को पुरस्कार वर्ष सहित पिछले पांच वर्षों में प्रकाशित होना चाहिए'।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, भारत के सभी विश्वविद्यालयों तथा समाचार एजेंसियों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस आदेश को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ह/-
(प्रेम सिंह)
उप-निदेशक **(राजभाषा)**

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)

****

(To be published in part-I, Section I of the Gazette of India)
No. 11019(1)/99- Hindi -Part-I

Government of India
Ministry of Non- Conventional Energy Sources
C.G.O. Complex, Block No. 14,
Lodhi Road, New Delhi- 110003.

Dated: 18 August 1999

ORDER

Subject:-'PRAKRITIKA URJA AWARD SCHEME' to encourage writting of original books in Hindi in the field of New and Renewable Sources of Energy.

With Reference to this Ministry's O.M. No. 11019(2)/87-Hindi Dated 27.4.1988 and in Continuation of Corrigendum of even number dt. 19th January, 1989, order No. 11015(3)/93- Hindi-Part-I Dated 25.3.1994 and order No. 11019(1)/98- HIndi Dated 18.1.99, I am directed to say that the para 7, sub para (7) of the Resolution No. 11019(2)87- Hindi dated 27.4.88 may be revised and read as under :-

"Under the Scheme, books originally wirtten in Hindi or translated into Hindi should be published within five years of year of award."

ORDER

Ordered that a copy each of this corrigendum be sent to all the state Government, all the Ministries and Departments of Government of India, all the Universities of India and all the News Agencies.

Ordered also that a copy of this order be published in the gazette of India for general information.

Sd/-
(Prem Singh)
D.D.(OL)

To,
The Manager,
Government of India Press,
Faridabad (Hariyana)

....

भारत के राजपत्र के भाग 1 खंड । में प्रकाशनार्थ

सं. 11019(2)/2003- हिंदी-पार्ट-I

भारत सरकार

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

****

केन्द्रीय सरकार कार्यालय समूह,
ब्लॉक सं. 14, लोदी रोड,
नई दिल्ली- 110003.
दिनांकः 5 मई, 2004

आदेश

विषयः ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोतों के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए 'प्राकृतिक ऊर्जा पुरस्कार योजना '।

इस मंत्रालय के दिनांक 27 अप्रैल, 1988 के का.ज्ञा.सं. 11019(2)/87- हिंदी और दिनांक 25 मार्च, 1994 के आदेश सं. 11015(3)/93- हिंदी के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष से पुरस्कारों की राशि बढ़ा दी गई है जो इस प्रकार से है :-

1.	प्रथम पुरस्कार -	15,000/-	रू से बढ़ाकर	20,000/-	रू.
2.	द्वितीय पुरस्कार-	10,000/-	रू. से बढ़ाकर	15,000/-	रू.
3.	तृतीय पुरस्कार -	7,000/-	रू. से बढ़ाकर	10,000/-	रू.

2. तदनुसार उपर्युक्त दिनांक 27.4.1988 के का.ज्ञा. का पैरा 3 संशोधित समझा जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोक सभा एवं राज्य सभा सचिवालय, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा भारत के सभी विश्वविद्यालयों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस आदेश को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ह/-
(एस.के.मिश्रा)
उप-सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)

****

(To be published in part-I, Section I of the Gazette of India)

No. 11019(2)/2003- Hindi-Part-I

Government of India
Ministry of Non- Conventional Energy Sources
C.G.O. Complex, Block No. 14,
Lodhi Road, New Delhi- 110003.

Dated: May 5, 2004

ORDER

Subject:-'PRAKRITIKA URJA AWARD SCHEME' to encourage writing of original book in Hindi in the field of New and Renewable Sources of Energy.

With Reference to this Ministry's O.M. No. 11019(2)/87-Hindi Dated 27.4.1988 and in Continuation of order no. 11015(3)/1993-Hindi, dated March 25th, 1994, I am directed to state that under this Scheme the amount of prizes have been increased as under with effect from this year:-

1.	First Prize	-	Rs. 15,000/-	to	Rs. 20,000/-
2.	Second Prize	-	Rs. 10,000/-	to	Rs. 15,000/-
3.	Third Prize	-	Rs. 7,000/-	to	Rs. 10,000/-

2. Accordingly Para No. 3 of the aforesaid O.M. dt. 27.4.1988 stands modified to that extent.

ORDER

Ordered that a copy each of this order be sent to all the Ministries and Departments of Government of India, President Secretariat, Prime Minister Office, Cabinet Secretariat, Plannning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat, all the State Governments/Union territories and all the Universities of India .

Ordered also that a copy of this order be published in the gazette of India for general information.

(S.K.Mishra)

Deputy Secretary, Government of India

To,
The Manager,
Government of India Press,
Faridabad (Haryana)

भारत के राजपत्र के भाग 1 खंड । में प्रकाशनार्थ

सं. **11019(2)/2003-** हिंदी-पार्ट-**I**

भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

****

केन्द्रीय सरकार कार्यालय समूह,
ब्लॉक सं. 14, लोदी रोड,
नई दिल्ली- 110003.
दिनांक : अप्रैल, 2008

<u>आदेश</u>

विषयः **ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोतों के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए 'प्राकृतिक ऊर्जा पुरस्कार योजना '।**

इस मंत्रालय के दिनांक 27 अप्रैल, 1988 के का.ज्ञा.सं. 11019(2)/87- हिंदी और दिनांक 5 मई, 2004 के आदेश सं. 11019(2)/2003- हिंदी-पार्ट-I के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष (कैलेंडर वर्ष 2007) से पुरस्कारों की राशि बढ़ा दी गई है जो इस प्रकार से है :-

1.	प्रथम पुरस्कार -	20,000/- रू से बढ़ाकर	50,000/- रू.
2.	द्वितीय पुरस्कार-	15,000/- रू. से बढ़ाकर	30,000/- रू.
3.	तृतीय पुरस्कार -	10,000/- रू. से बढ़ाकर	20,000/- रू.

2. तदनुसार उपर्युक्त दिनांक 27.4.1988 के का.ज्ञा. का पैरा 3 संशोधित समझा जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोक सभा एवं राज्य सभा सचिवालय, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा भारत के सभी विश्वविद्यालयों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस आदेश को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

(ए.के. कौशिक)
उप-सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)

******

(To be published in part-I, Section I of the Gazette of India)

No. 11019(2)/2003- Hindi-Part-I

Government of India
Ministry of New and Renewable Energy
C.G.O. Complex, Block No. 14,
Lodhi Road, New Delhi- 110003.

Dated: April 2008

ORDER

Subject:-'PRAKRITIKA URJA AWARD SCHEME' to encourage writing of original book in Hindi in the field of New and Renewable Sources of Energy.

With Reference to this Ministry's O.M. No. 11019(2)/87-Hindi Dated 27.4.1988 and in Continuation of order no. 11019(2)/2003- Hindi-Part-I dated May 5th, 2004, I am directed to state that under this Scheme the amount of prizes have been increased as under with effect from this year (Calendar year 2007) :-

1.	First Prize	-	Rs. 20,000/-	to	Rs. 50,000/-
2.	Second Prize	-	Rs. 15,000/-	to	Rs. 30,000/-
3.	Third Prize	-	Rs. 10,000/-	to	Rs. 20,000/-

2. Accordingly Para No. 3 of the aforesaid O.M. dt. 27.4.1988 stands modified to that extent.

ORDER

Ordered that a copy each of this order be sent to all the Ministries and Departments of Government of India, President Secretariat, Prime Minister Office, Cabinet Secretariat, Plannning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat, all the State Governments/Union territories and all the Universities of India .

Ordered also that a copy of this order be published in the gazette of India for general information.

(A.K. Kaushik)
Deputy Secretary, Government of India

To,
The Manager,
Government of India Press,
Faridabad (Haryana)

ऊर्जा के नए एवं नवीकरणीय स्रोतों के क्षेत्र में मौलिक हिंदी पुस्तक लेखन की
'प्राकृतिक ऊर्जा पुरस्कार योजना' में भाग लेने के लिए प्रवेश-पत्र

****

1.(क) लेखक का नाम ________________________________

व पूरा पता ________________________________

____

(ख) लेखक का वर्तमान व्यवसाय

____

2. लेखक की शैक्षिक योग्यता

____

3. (क) पुस्तक का शीर्षक

____

(ख) पुस्तक की विषय-वस्तु

____

(नियमावली का पैरा 2(2) देखें)

4. लेखक द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकों के नाम

____

____

____

5. लेखक की राष्ट्रीयता

____

6. प्रकाशक का पूरा नाम व पता

____

____

____

7. पुस्तक किस वर्ष में लिखी/ प्रकाशित हुई

____

8. क्या पुस्तक को भारत सरकार/राज्य सरकार/ संघ शासित क्षेत्र की किसी प्रतियोगिता या किसी अन्य संस्थान के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया है

____

यदि हां तो इस संबंध में पूरे विवरण दें

____

____

____

9. क्या यह पुस्तक किसी अन्य भाषा में किसी पुस्तक का अनुवाद है?__________________

____

10. क्या लेखक ने पुस्तक को मूल रूप से हिंदी में लिखा है ?__________________________

11. क्या पुस्तक का कोई सह-लेखक है? यदि हां, तो उसका नाम व पता ________________

____

12. क्या पुस्तक का स्वत्वाधिकार (कॉपीराइट) स्वयं लेखक का है ?_____________________

____

13. यदि नहीं, तो क्या स्वत्वाधिकारी की अनुमति ले ली गई है ?
(कॉपीराइट/ अनुमति पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

घोषणा-पत्र

(क) मैंने पुरस्कार योजना के नियमों को पढ़ लिया है और मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं ।

(ख) मैं यह भी घोषणा करता हूं कि यह पुस्तक मूलतः मेरे द्वारा लिखी गई है और यह किसी दूसरे के कॉपीराइट अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है।

(ग) मैं भारत का नागरिक हूं ।

(घ) प्रेषित ग्रंथ का मैं ही एकमात्र रचनाकार हूं/ नहीं हूं और उसका/ उसके कोई सह-लेखक नहीं हैं/ ____________________________ (संख्या) सह-लेखक हैं जिनके साथ मैं संयुक्त आवेदन भेज रहा हूं ।

(ङ) प्रेषित ग्रंथ/ लेख पर मेरा ही/ अन्य का स्वत्वाधिकार है तथा इस रचना को इस वर्ष के पुरस्कारों के विचारार्थ भेजने के लिए मैंने स्वत्वाधिकारी की अनुमति प्राप्त कर ली है जो आवेदन के साथ संलग्न कर दी है (जो अंश लागू न हो उसे काट दें) ।

(च) मैं यह भी घोषणा करता हूं कि प्रपत्र में दिए गए विवरण बिल्कुल सही हैं।

स्थानः **(हस्ताक्षर)**

टिप्पणीः-

1. यदि किसी पुस्तक के लेखक एक से अधिक व्यक्ति हों तो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी इस प्रपत्र को अलग-अलग भरकर प्रस्तुत करेंगे ।

2. यदि कोई अतिरिक्त सूचना देनी है तो अलग पृष्ठ पर संलग्न करें।

****